

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्राप्त करने हेतू

आवेदन करने की प्रक्रिया

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :

❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र क्या है?

यह प्रमाण पत्र जैसा कि नाम से स्वतः स्पष्ट है किसी रैयत द्वारा धारित भूमि को दर्शाता है इसकी आवश्यकता अनेक मामलों में यथा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में भू-अर्जन के मामलों में भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करने में , न्यायिक मामलों में भूमि धार के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने में अचल संपत्ति को दर्शाने में , किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने इत्यादि में होती है।

❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार सुसंगत राजस्व अभिलेखों यथा चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी, खेसरा पंजी इत्यादि में रैयत एवं उसके द्वारा धारित भूमि की प्रविष्टि है। भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए भू-धारी को विहित प्रपत्र में संबंधित अंचल जहाँ भूमि अवस्थित है के अंचल अधिकारी के समक्ष एकल या संयुक्त रूप से, जिस रूप में भूमि धारण किया गया हो, आवेदन किया जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन के संदर्भ में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच कर प्रतिवेदन की मांग की जाती है। हल्का कर्मचारी राजस्व अभिलेखों यथा चालू खतियान , अभिधारी खाता पंजी एवं खेसरा पंजी के आधार पर जांच की जाती है। साथ ही साथ स्थानीय जांच कर भूमि पर दखल की भी जांच की जाती है एवं जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक को समर्पित किया जाता है। अंचल निरीक्षक द्वारा हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के जांचोपरांत संतुष्ट होने पर पुष्टि की जाती है अथवा अपना जांच अंकित किया जाता है। साथ ही भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अंचल अधिकारी को अपनी स्पष्ट अनंशंसा दी जाती है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर उनके द्वारा विहित प्रपत्र में भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

❖ संबंधित विभाग :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |

❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :

क्र०	सेवा	उप सेवा	क्र०	चेक लिस्ट
2	भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र का निर्गम	भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र का निर्गम	1	लगान रसीद की छाया प्रति/विक्रय/दान/बदलैन/किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण के निबंधित लिखत की छाया प्रति।

❖ स्वीकृत अधिकारी :

सम्बंधित अंचल का अंचल अधिकारी |

❖ कार्यालय समय :

आर०पी०टी०एस० काउन्टर- सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक।

❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के निष्पादन की समय-सीमा:

क्र०	सेवा का नाम	निष्पादन की समय-सीमा
1	2	3
1	भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र	10 कार्य दिवस

❖ किसको अपील दायर कर सकते हैं?

अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

भूमि स्वामीत्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता/पति का नाम:-
3. निवास स्थान का पूरा पता:-

(क) स्थायी पता	(ख) वर्तमान पता
ग्राम/मुहल्ला :-	ग्राम/मुहल्ला :-
पंचायत :-	पंचायत :-
थाना/अंचल :-	थाना/अंचल :-
जिला :-	जिला :-

4. स्वामित्व की भूमि का विवरण:-

क्र0	जिला	अंचल	राजस्व मौजा	थाना सं0	तैजी सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	जमाबंदी संख्या	जमाबंदी रैयत का नाम	यदि संयुक्त भूमि है तो आवेदक के हिस्से की जमीन का रकवा	अभ्युक्ति (आवेदित भूमि खतियानी है या खरीदगी/बंदोबस्ती पर्चा द्वारा प्राप्त)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

स्थान -

दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर

अथवा अंगूठे का निशान